UPRB010039142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1686/2026

सिद्धान्त उर्फ सिद्धार्थ उम्र 24 वर्ष पुत्र आदेश कुमार अवस्थी निवासी सन्त नगर पूर्वी थाना– सिधौली जिला सीतापुर।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

....विपक्षी/अभियोगी।

18–06–2026

आवेदक–अभियुक्त **सिद्धान्त उर्फ सिद्धार्थ** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या **73/2026**, धारा–**313,317(2),317(4),317(5),61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि०,** थाना **शिवगढ़,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप निरीक्षक गौरव कुमार द्वारा जरिए फर्द बरामदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 18–03–2026 को मुखबिर खास की सूचना पर आवेदक–अभियुक्त को अन्य तीन साथियो के साथ बिजली के तार की चोरी की योजना बनाते हुए हमराहियान की मदद से पकड़ लिया गया और उनकी नियमानुसार जामा तलाशी लेने पर आवेदक–अभियुक्त के कब्जे से रूपये व चोरी करने में प्रयुक्त होने वाले हथियार व उपकरण की बरामदगी की गयी। आवेदक–अभियुक्त द्वारा समक्ष पुलिस अपराध की संस्वीकृति की गयी है, जिसके आधार पर उसे हिरासत पुलिस में लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठे तथ्यों के आधार पर गलत फंसा दिया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त व्यवसायी है, जो आदेश कुमार सेन्स के नाम से सिधौली भूसा की दूकान है, जो जरूरत बन्द लोगो को सप्लाई करता है। प्रार्थी/अभियुक्त नेशनल इण्टर कालेज सिधौली कक्षा 12 का उत्तीर्ण छात्रा है। सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा उन्हें मात्र गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से उक्त मामले में फर्जी बरामदगी दिखाते हुए वांछित कर दिया गया है। आवेदक–अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नही हुयी है, जो बरामदगी बतायी गयी है वह फर्जी है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी जनसाक्षी नही दर्शाया गया है।

आवेदक–अभियुक्त दिनांक 09–06–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा । तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त द्वारा कथित बिजली के तार की चोरी करने की योजना बनाते हुए मौके पर पकड़ा गया है। आवेदक–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है । आवेदक–अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल को बेचकर उससे प्राप्त हुये रूपये व चोरी में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण/असलहे की बरामदगी हुयी है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व आवेदक–अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव के अनुसार दिनांक 13–03–2026 से 15–03–026 की कथित बिजली के तार की चोरी की घटना के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 19–03–2026 को समय 3.42 बजे प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी गयी। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नही किया गया है। सह अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र ,अमित, सूरज, विनीत कश्यप व सलीम का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र व अभियुक्त लवकुश व नीलेश जायसवाल का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किये जा चुके है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध भी समान अभियोग है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त पाता हूँ। तद्नुसार उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त **सिद्धान्त उर्फ सिद्धार्थ** को अपराध संख्या **73/2026, धारा–313,317(2),317(4),317(5),61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023** व **2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि०,** थाना **शिवगढ़,** जिला **रायबरेली** मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोईस्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
18–06–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.18 12:49:53 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli